

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0- 38 / 16-17

प्रकाश चौधरी बनाम् विपीन प्र0 गुप्ता

-: आदेश :-

21.10.2022

वर्तमान वाद आवेदक प्रकाश चौधरी, पे0-स्व0 दीप नारायण चौधरी, सा0-मोरडीहा, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-पारनकिता नं0-192, जमाबंदी नं0-01, दाग नं0-03 के अंदर रकवा-00-01-00 धूर भूमि से विपक्षी विपीन प्रसाद गुप्ता, पे0-स्व0 प्रकाश साह, सा0-बिहारी, थाना-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।


उक्त वाद में न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा दिनांक-23.05.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें वादगत भूमि मौजा-पारनकिता नं0-192, जमाबंदी नं0-01, दाग नं0-03 के अंदर रकवा-00-01-00 धूर से विपक्षी को उच्छेद किया गया है। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध विपक्षी द्वारा पुनः उपायुक्त के न्यायालय, गोड्डा में आर0एम0ए0 नं0-45/18-19 विपीन प्र0 गुप्ता बनाम प्रकाश चौधरी एवं अन्य वाद दायर किया गया है, जिसमें उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में पूर्व पारित आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्विचार हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया गया है।

उक्त आदेश में प्रासंगिक भूमि पर विपक्षी का मकान सन् 1949 के पूर्व से बनाकर निवास करने तथा उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं रहने के तथ्यों की जांच हेतु निदेशित है, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक-308/रा0, दिनांक-15.07.2022 एवं थाना प्रभारी, ठाकुरगंगटी के ज्ञापांक-550, दिनांक-31.05.2022 द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी को उक्त मकान बसोवास हेतु सन् 1994 में भूमि प्राप्त हुआ है तथा इसके अतिरिक्त मौजा-बिहारी नं0-190 के जमाबंदी नं0-25 अंतर्गत विपक्षी का अपना पैतृक जमीन एवं उक्त जमाबंदी के दाग नं0-158 के अंदर रकवा-00-00-09-10 धूरकी जमीन पर अपना पक्के का मकान है।


अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रासंगिक भूमि से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है।

आदेश की प्रति उपायुक्त, गोड्डा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
21.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

  
21.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।